



प्रेस विज्ञप्ति

13.12.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), इंदौर ने अवैध क्रिकेट/टेनिस सट्टेबाजी केस में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 12/12/2024 को इंदौर, उज्जैन और लुधियाना में 5 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है।

ईडी ने अवैध क्रिकेट/टेनिस सट्टेबाजी के संबंध में मध्य प्रदेश के उज्जैन पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला कि पीयूष चोपड़ा नाम के एक व्यक्ति ने अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके खरीदे गए सिम कार्ड का उपयोग करके बड़े पैमाने पर अवैध क्रिकेट सट्टेबाजी का संचालन करके अपराध की आय (पीओसी) अर्जित की।

इस मामले में शामिल तथ्यों के अनुसार, पीयूष चोपड़ा ने एक सट्टेबाजी सेटअप स्थापित किया, जहाँ वह और उसके कर्मचारी LONDONEXCH9.COM नामक वेबसाइट पर सट्टा लगाते थे। उन्होंने सट्टा लगाने और जीत हासिल करने के लिए हवाला लेनदेन का इस्तेमाल किया। सभी सट्टेबाजी के लेन-देन को "हॉर्स" नामक एक सॉफ्टवेयर का उपयोग करके ट्रैक किया गया था, जिसे श्री पीयूष चोपड़ा ने अभय चोपड़ा और संजय अग्रवाल के माध्यम से प्राप्त किया था, जो कथित तौर पर ऑनलाइन सट्टेबाजी गतिविधियों और अवैध पीओसी बनाने में भी शामिल हैं।

तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस, 31 लाख रुपये की बेहिसाब नकदी जब्त की गई और बैंक खातों में शेष राशि, सावधि जमा और म्यूचुअल फंड इकाइयों के रूप में निवेश, कुल 8 करोड़ रुपये फ्रीज कर दिए गए।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।